रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 1982/फाल्गुन 13, 1903
No. 83] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 1982/PHALGUNA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1982

का. आ. 123(अ)/18एफए/18एए/आईडीआरए/82 —केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 128(अ)/18चक/18कक/उ.वि.वि अ./73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स कृष्णा मिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध 5 मार्च, 1973 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 146(अ)/18चक/18कक/उ.वि.वि.अ./78, तारीख 3 मार्च, 1978, सं.का.आ. 145(अ)/18चक/18कक/उ.वि.वि.अ./80 तारीख 5 मार्च, 1980, सं.का.आ. 144(अ)/81, तारीख 4 मार्च, 1981 और सं. का.आ. 685(अ)/18चक/18कक/उ.वि.वि.अ./81, तारीख 4 सितम्बर, 1981 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 4 मार्च, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अतिरिक्त अवधि के लिए, प्रबन्ध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि सर्व-साधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबन्ध छह मास की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 3 मार्च, 1982 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छह मास की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18कक के साथ पठित धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह 5 मार्च, 1982 से आरम्भ होने वाली छह

मास की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे ।

[फा. सं. 2(1)/80-के.उ शु.]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1982

S.O. 123(E)/18FA/18AA/IDRA/82.—Whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1974, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973 ;

And whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78, dated the 3rd March, 1978, No. S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80, dated the 5th March, 1980, No. S.O. 144(E)/81, dated the 4th March, 1981, and No. S.O. 685(E)/18FA/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for further periods upto and inclusive of 4th March, 1982 ;

And whereas, the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of six months ;

And whereas, the said High Court, by its Order dated the 3rd March, 1982, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months ;

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months commencing from the 5th March, 1982.

[F. No. 2(1)/81-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982